(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 6524 – I – 17

प्रेमबाई अहिरवार पत्नि अर्जना
निवासी ग्राम बुड़ेरा,
तह. बड़ागॉव (धसान)
जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... निगराकार

बनाम

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

श्री ...... द्वारा आज दि. 16-2-17 को प्रस्तुत
16.2.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता

प्रस्तुत निगरानी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36 बी./121/2009–410 में पारित आदेश 18.05.2010 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत।

महोदय,

1– भूमि स्थित ग्राम बुड़ेरा खसरा नं. 2748/2 रकवा 0.388 हेक्टै. के विरूद्व करीब 40 वर्षो से निगराकार सहित उनके परिवार के द्वारा उक्त भूमि पर लगातार फसली कब्जा है। जिसके चलते आवेदकगण अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

2– यह कि, निगराकार के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2010 को भू–राजस्व संहिता जिसे आगे संहिता कहा जायेगा। उक्त भूमि खसरा नं 2748/2 जिसे प्रकरण में आगे विवादित भूमि माना जावें। उक्त स्थिति में आवेदक के विरूद्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही कर उसे बेदखली का आदेश पारित कर भारी कानूनी भूल की है आवेदक निगराकार उस भूमि का वास्तविक भू–स्वामी है जिसका लगातार खसरे में 1980 से लगातार एवं इससे पूर्व फसली कब्जा है। ऐसी स्थिति में आवेदक मध्यप्रदेश काश्तकार भू–स्वामी अधिनियम 1984 एवं घोषित शासन की नीति के अनुसार उक्त भूमि का वास्तविक एवं खुद काश्त कृषक है। जिसके विरूद्व की गई कार्यवाही विधि के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(क्रमशः)

R 654-I/17 दीवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/1/18	आवेदक अधि. श्री सुशील जादौन एवं अना. अधि. श्री अजय चतुर्वेदी उप. आवेदक अधि. ने प्रकरण नोट-प्रेस में समाप्त करने का अनुरोध किया। विचारोपरांत आवेदक के निवेदन पर प्रकरण नोट-प्रेस में समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। प्रज्ञा सराय	4-1-18 नोट प्रेस